



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27032026-271317
CG-DL-E-27032026-271317

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1505]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 25, 2026/ चैत्र 4, 1948

No. 1505]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 25, 2026/ CHAITRA 4, 1948

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि, और किसान कल्याण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2026

का.आ. 1570(अ).—केन्द्रीय सरकार, उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खंड 20 का अनुसरण करते हुए, राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए भारत में निर्मित किए जाने वाले निम्नलिखित उर्वरकों के विनिर्देश को अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

आदेश

- एन पी के 13.2-13.2-13.2 (तरल) उर्वरक
 - भार के आधार पर कुल नाइट्रोजन न्यूनतम 13.2
 - भार के आधार पर जल में घुलनशील फास्फोरस (P₂O₅ के रूप में) प्रतिशत न्यूनतम 13.2
 - भार के आधार पर जल में घुलनशील पोटेशियम (K₂O के रूप में) प्रतिशत न्यूनतम 13.2
 - भार के आधार पर मैग्नीशियम (MgO के रूप में) प्रतिशत, न्यूनतम 1.0

(v)	भार के आधार पर कॉपर (Cu में व्यक्त) अंश कॉपर ई डी टी ए के रूप में प्रतिशत, न्यूनतम	0.049
(vi)	भार के आधार पर आइरन (Fe में व्यक्त) अंश आइरन ई डी टी ए के रूप में प्रतिशत, न्यूनतम	0.098
(vii)	भार के आधार पर मैंगनीज (Mn में व्यक्त) अंश मैंगनीज ई डी टी ए के रूप में प्रतिशत, न्यूनतम	0.049
(viii)	भार के आधार पर जिंक (Zn में व्यक्त) अंश जिंक - ई डी टी ए के रूप में प्रतिशत, न्यूनतम	0.049
(ix)	भार के आधार पर बोरोन (B के रूप में) प्रतिशत न्यूनतम	0.02
(x)	भार के आधार पर मोलिब्डेनम (Mo के रूप में) प्रतिशत न्यूनतम	0.0008
(xi)	पी एच (10 % घोल)	4.0-6.0
(xii)	विशिष्ट गुरुत्व	1.52-1.58

2 एन पी के 2-0-21 तरल उर्वरक

(i)	भार के आधार पर कुल नाइट्रोजन (N के रूप में), न्यूनतम	2.0
(ii)	भार के आधार पर यूरिया नाइट्रोजन (N के रूप में), न्यूनतम	2.0
(iii)	भार के आधार पर जल में घुलनशील पोटेशियम (K ₂ O के रूप में) प्रतिशत न्यूनतम	21.0
(iv)	पी एच (1.5% घोल)	5-6
(v)	विशिष्ट गुरुत्व	1.3-1.4
(vi)	भार के आधार पर कैडमियम (Cd के रूप में) का प्रतिशत अधिकतम	0.0025
(vii)	भार के आधार पर आर्सेनिक (As के रूप में) का प्रतिशत अधिकतम	0.01
(viii)	भार के आधार पर सीसा (Pb के रूप में) का प्रतिशत अधिकतम	0.003

3. सूक्ष्म पोषक तत्वों से सम्पुष्ट एलीमेन्टल सल्फर

(i)	भार के आधार पर कुल सल्फर (S के रूप में) न्यूनतम	31.90
(ii)	भार के आधार पर मैग्नीशियम (Mg के रूप में) प्रतिशत, न्यूनतम	16.0
(iii)	भार के आधार पर जिंक (Zn के रूप में) प्रतिशत, न्यूनतम	8.40
(iv)	भार के आधार पर आइरन (Fe के रूप में) प्रतिशत, न्यूनतम	12.40
(v)	भार के आधार पर कॉपर (Cu के रूप में) प्रतिशत, न्यूनतम	0.70
(vi)	भार के आधार पर मैंगनीज (Mn के रूप में) प्रतिशत, न्यूनतम	1.90

(vii)	भार के आधार पर बोरॉन (B के रूप में प्रतिशत, न्यूनतम	7.70
(viii)	भार के आधार पर मोलिब्डेनम (Mo के रूप में प्रतिशत, न्यूनतम	0.15
4. पी के 0-5-27 तरल उर्वरक		
(i)	भार के आधार पर जल में घुलनशील फास्फोरस (P ₂ O ₅ के रूप में) प्रतिशत न्यूनतम	5.0
(ii)	भार के आधार पर जल में घुलनशील पोटेशियम (K ₂ O के रूप में) प्रतिशत न्यूनतम	27.0
(iii)	पी एच	5+/- 1
(iv)	विशिष्ट गुरुत्व	0.9-1.0
(v)	भार के आधार पर कैडमियम (Cd के रूप में) का प्रतिशत अधिकतम	0.0025
(vi)	भार के आधार पर आर्सेनिक (As के रूप में) का प्रतिशत अधिकतम	0.01
(vii)	भार के आधार पर सीसा (Pb के रूप में) का प्रतिशत अधिकतम	0.003

[फा .सं. 4-8/2025 उर्वरक विधि]

फ्रैंकलिन एल. खोबंग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE**(Department of Agriculture and Farmers Welfare)****ORDER**

New Delhi, the 25th March, 2026

S.O. 1570(E).— In pursuance of clause 20 A of Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985, the Central Government hereby notifies the specification of following fertilisers to be manufactured in India for a period of three years from the date of publication of this Order in the Official Gazette, namely:-

1. NPK 13.2-13.2-13.2 Liquid Fertiliser		
(i)	Nitrogen per cent. by weight minimum	13.2
(ii)	Phosphorus as P ₂ O ₅ per cent. by weight minimum	13.2
(iii)	Water Soluble Potassium as K ₂ O per cent. by weight minimum	13.2
(iv)	Magnesium as MgO per cent by weight . minimum	1.0
(v)	Copper content (expressed as Cu) percent by weight minimum in form of Cu-EDTA-	0.049
(vi)	Iron content (expressed as Fe) percent by weight minimum in form of Fe -EDTA	0.098
(vii)	Manganese content (expressed as Mn) percent by weight minimum in form of Mn-EDTA	0.049
(viii)	Zinc content (expressed as Zn) percent by weight minimum in form of Zn-EDTA	0.049

(ix) Boron as B percent by weight minimum	0.02
(x) Molybdenum as Mo percent by weight minimum	0.0008
(xi) pH (10% sol)	4.0-6.0
(xii) Specific gravity	1.52-1.58
2. NK liquid 2-0-21 liquid fertiliser)	
(i) Total Nitrogen as N percent. by weight, minimum	2.0
(ii) Urea Nitrogen as N percent. By weight, minimum	2.0
(iii) Water Soluble Potassium as K ₂ O percent. By weight, minimum	21.0
(iv) pH (1.5% solution)	5-6
(v) Specific gravity	1.3-1.4
(vi) Cadmium as Cd, per cent. by weight ,maximum	0.0025
(vii) Arsenic as As maximum per cent. by weight , maximum	0.01
(viii) Lead as Pb maximum per cent. by weight, maximum	0.003
3. Elemental Sulphur fortified with Micronutrients	
(i) Sulphur as S per cent. by weight minimum	31.90
(ii) Magnesium as Mg per cent. by weight minimum	16.0
(iii) Zinc as Zn per cent. by weight minimum	8.40
(iv) Iron as Fe per cent. by weight minimum	12.40
(v) Copper as Cu per cent. by weight minimum	0.70
(vi) Manganese as Mn per cent. by weight minimum	1.90
(vii) Boron as B per cent. by weight minimum	7.70
(viii) Molybdenum as Mo per cent. by weight minimum	0.15
4. PK 0-5-27 Liquid fertiliser	
(i) Water soluble Phosphorus (as . P ₂ O ₅) per cent. by weight, minimum	5.0
(ii) Water Soluble Potassium (as K ₂ O) minimum per cent by weight minimum	27.0
(iii) pH	5+/- 1
(iv) Specific gravity	0.9-1.0
(v) Cadmium as Cd, maximum per cent. by weight,maximum	0.0025
(vi) Arsenic as As maximum per cent. by weight , maximum	0.01
(vii) Lead as Pb maximum per cent. by weight , maximum	0.003

[F. No. 4-8/2025 Fert Law]

FRANKLIN L. KHOBUNG, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27032026-271304
CG-DL-E-27032026-271304

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1502]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 25, 2026/ चैत्र 4, 1948

No. 1502]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 25, 2026/ CHAITRA 4, 1948

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि, और किसान कल्याण विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2026

का.आ. 1567(अ).— केन्द्रीय सरकार, उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खंड 21 उप-खण्ड (ग) का अनुसरण करते हुए, नीचे दी गई तालिका के अनुसार, जैव उर्वरक को बेचने के लिए पैक किए जाने वाले बैग या पैकेट का वजन विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात्:-

क्र सं	जैव उर्वरक का नाम	बैग/पैकेट का वजन
(1)	(2)	(3)
1	वेसिकुलर अर्बुस्कुलर माइकोराइजा (वीएएम) जैव उर्वरक	न्यूनतम 500 ग्राम, (100 ग्राम, बीजाणु आधारित माइकोरिज़ल फॉर्मूलेशन के लिए) और अधिकतम 5 किलोग्राम.
2	वाहक आधारित जैव उर्वरक	न्यूनतम 200 ग्राम, और अधिकतम 1 किलोग्राम
3	तरल जैव उर्वरक	न्यूनतम 50 मिली लीटर और अधिकतम 1 लीटर

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2026 को प्रवृत्त होगी।

3. . यह अधिसूचना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पहले पैक की गई सामग्री पर लागू नहीं होगी जो उसके अवसान की तारीख तक बिना बिकी रहती है।

[फा. सं. 4-8/2025 उर्वरक विधि]

फ्रैंकलिन एल. खोबंग, संयुक्त सचिव,

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March, 2026

S.O. 1567(E).— In pursuance of sub-clause (c) of clause 21 of Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order,1985, the Central Government hereby specifies the weight of bags or packets in which the Bio-fertiliser is to be packed for sale as per the table below, namely:-

Sr.No	Name of Bio-fertilizer	Weight of bags/packets
(1)	(2)	(3)
1	Vesicular Arbuscular Mycorrhiza (VAM)	Minimum 500 g (100 gram for spore based Mycorrhizal formulations) and Maximum 5 Kg.
2	Carrier based Biofertilizers	Minimum 200 g and Maximum upto 1 Kg.
3	Liquid Biofertilizers	Minimum 50 mL and Maximum 1 Litre

2. This notification shall come into force the 1st day of April, 2026.

3. This notification shall not be applicable to the materials packed prior to the date of publication of this notification, which remains unsold, till date of its expiry.

[F. No. 4-8/2025-Fert.Law]

FRANKLIN L. KHOBUNG, Jt. Secy.